भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी. रोड, डाक थैला सं 5607
तिरुवनन्तपुरम-695 001

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. NO. 5607
THIRUVANANTHAPURAM-695 001

सं / No. P19/II/DRSSA-193/UP/ 2018-19

दिनांक / Date: 31 /01/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Revision of Pension/Family Pension of pre-2016 Pensioners and Grant of Dearness Relief to the Uttar Pradesh state civil/family pensioners @9% w.e.f. 01/07/2018.- reg

Ref: 1.SSA No.Pension (Misc)/ 2135 , dated: 17/12/2018 of the office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh.

2.Lr. No. 14/2018/G-3-312/X-2018-308/2016 dated:01/05/2018 of the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

3.OM No.26/2018-G-3-397/X-2018-301/2000 T.C. dated: 14/11/2018 of the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Accountant General (A&E), Uttar Pradesh which encloses letters from the Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh regarding the **Revision of Pension/Family Pension of pre-2016** Pensioners and grant of **Dearness Relief** to Uttar Pradesh State Government civil/family pensioners on the revised rate of **9% w.e.f. 01/07/2018**. The same is being placed in the official website of the office **(www.agker.cag.gov.in)** under the link ***"Treasury endorsement of orders for other state pensioners"*** . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

31/1/19

Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

दूरभाष / Telephone: 0471-2330311 फैक्स / Fax: 0471-2330242 तार / Grams: ACCOUNTS TRIVANDRUM
ई-मेल / E-mail : agaekerala@bsnl.in Website : http://www.agker.cag.gov.in

P19/ह/DRSSA/193

4/1/019 पंजीकृत

P19
382986
2/1/19

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402
पत्रांक:–पेंशन विविध / 2135

दिनांक:-17/12/2018

सेवा में,

Accountant General (A&E) Kerala,

P. B. No. 5607 Thiruvananthapuram. 695039

विषय:- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संसोधन एवं महंगाई राहत की स्वीकृति ।

शासनादेश:- 1-संख्या-14/2018/सा-3-312/दस-2018-308/2016, दिनांक 01-05-2018

2-संख्या-26/2018/सा-3-937/दस-2018-301/2000 टी०सी० दिनांक 14-11-2018

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेशों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने कि कृपा करें ।

संलग्न:- यथोपरि ।

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

संख्या-14/2018/सा-3-312/दस-2018-308/2016

प्रेषक,

अलकनंदा दयाल,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक: 01 मई, 2018

विषय: वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संशोधन के विषय में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016, दिनाँक 23-12-2016, शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस-2017, दिनाँक 18-07-2017 एवं शासनादेश संख्या-31/2017-सा-3-524/दस-2017, दिनाँक 04-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासनादेश दिनाँक 18-07-2017 एवं 04-09-2017 के संदर्भ में शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन माँगा जा रहा है कि दिनांक 01-01-2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 01-01-2016 से लागू पे-मैट्रिक्स में समवर्ती लेवल में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत / 30 प्रतिशत से कम न होने की व्यवस्था लागू है अथवा नहीं।

3- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार नोशनल रूप से निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा के आधार पर करते हुए किया जायेगा परन्तु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23-12-2016, शासनादेश दिनांक 18-07-2017 सपठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश दिनांक 04-09-2017 की व्यवस्थाओं के अधीन दिनाँक 01-01-2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनाँक 01-01-2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के संगत पे-लेवल में न्यूनतम वेतन के क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम नहीं होगी भले ही सेवानिवृत्त कार्मिक की अर्हकारी सेवा पूर्ण पेंशन हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा से कम हो।

4- यह आदेश दिनाँक 01-01-2016 से प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीया,
अलकनंदा दयाल
सचिव।

संख्या-14/2018/सा-3-312(1)/दस-2018, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक,पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।